

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरगा राग, आर.ए.एस

क रीडर/2025/ 557

दिनांक - 10.02.2025

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गोरधनराम 2 उदाराम
पिसरान विरधाराम जाति जाट,
निवासी राईको की ढाणी
(कगाऊ) तहसील व जिला
बाड़मेर।


1 कुम्भाराम पुत्र वीरमाराम 2 केसाराम पुत्र नगाराम 3 खेतूदेवी
पत्नि रूपाराम 4 गोमाराम 5 चनणाराम पिसरान शेराराम 6
चूनीदेवी पत्नि शेराराम 7 जेठी पत्नि पूर्णाराम 8 जसाराम पुत्र
वीरमाराम 9 नेनू पत्नि नगाराम 10 पदमाराम पुत्र वीरमाराम 11
पपूदेवी पत्नि झुंगाराम 12 बुधराराम पुत्र नगाराम 13 बनाराम
पुत्र पूर्णाराम 14 मेहराराम पुत्र मानाराम 15 रूपाराम पुत्र
नगाराम 16 रामू कुमारी पुत्री शेराराम 17 वरजू पत्नि वीरमाराम
18 शंकरलाल पुत्र शेराराम 19 जोगाराम पुत्र डालूराम 20
तुलछाराम पुत्र चंदाराम 21 धर्मीदेवी पत्नी डालूराम 22
पुरखाराम पुत्र लालाराम 23 रामाराम 24 हीराराम पिसरान
हरखाराम 25 तेजाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट, निवासी राईको
की ढाणी 26 तगाराम 27 मांगाराम पिसरान खेताराम जाति
मेघवाल, निवासी राईको की ढाणी 28 इन्द्रादेवी पत्नि धर्माराम
जाति देवासी निवासी रबारियो की ढाणी (बाड़मेर आगोर)
तहसील व जिला बाड़मेर 29 सहायक अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 731/2024

दिनांक- 06/02/25

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राईको की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील बाड़मेर जिला
बाड़मेर के खसरा संख्या 465/238 रकबा 6.6935 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 558-61

दिनांक- 10.02.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण गोरधनराम पुत्र विरधाराम जाति जाट, निवासी राईको की ढाणी तहसील  जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कुम्भाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट, निवासी जाति जाट, निवासी राईको की ढाणी तहसील व
जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर